नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/14

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–(ख)IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनच्छेदों में दिये गये है।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्रम संख्या	अनियमितताओं का सार	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	दिनाँक 31.3.2014 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	6 (ii)	2.71
2	दिनाँक 31.3.2014 को गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	8	22.17
3	दुकानों/स्टालों इत्यादि के किराये की राशि वसूली योग्य शेष	9	15.76
4	दिनाँक 31.3.2014 को मोबाईल टावरस शुल्क की वसूली योग्य राशि शेष	10 (ग)	0.24
5	तहबाजारी शुल्क वसूल न करने बारे	13	0.58

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट**

क" पर दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत नादौन के लेखों अवधि 04/2012 से 03/2014 का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अशोक कुमार सूद (सहायक नियन्त्रक, ले0प0) व श्री नरेन्द्र कुमार (आर्टिकल असिस्टैंट) द्वारा दिनाँक 17.7.2014 से 20.8.2014 तक के नादौन में किया गया जिस के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2012–13	3/2013	2/2013
2013–14	3/2014	2/2014

अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रधान व सचिव (नगर पंचायत) के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की।

प्रधान नगर पंचायत

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती रीना देवी	1.4.2012 से 31.3.2014

सचिव (नगर पंचायत)

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री विजय कुमार शर्मा	1.4.12 से 3.5.12 तक
2	श्री प्रेम चन्द बतरा	4.5.12 से 31.3.2014

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप सचिव नगर पंचायत नादौन द्वारा उपलब्ध कार्रवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

अवधि 4/2012 से 3/2014 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क, वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर **₹**23800/–आँका गया, इस राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु सचिव नगर पंचायत से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक ले0प0 की अंकेक्षण अधियाचना संख्या LAD (ऑडिट) 2014–15/A.K.S./P-67 दिनाँक 21.07.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की उपरोक्त राशि को नगर पंचायत नादौन द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 992437 दिनांक 12.9.2014 के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) नगर पंचायत नादौन की अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2012 से 3/2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख–1" तथा "ख–2"** में भी दिया गया है।

वर्ष 2012–13

प्रारम्भिक शेष	3576006
आय	13784535
कुल राशि	17360541
व्यय	11826443
अन्तिम शेष	5534098

वर्ष 2013–14

प्रारम्भिक शेष	5534098
आय	11241126
कुल राशि	16775224

व्यय	14916601
अन्तिम शेष	1858623

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

दिनांक 31.3.14 को बैंक में जमा राशिः—

1	OBC नादौन	0168201003402	43930
2	SBI नादौन	11306445830	651904.92
3	SBI नादौन	11306445841	5194.53
4	SBI नादौन	11306466185	92209.25
5	SBI नादौन	11306466196	213810.20
6	SBI नादौन	11306466209	70718.47
7	SBP नादौन	65110276153	526934.00
8	CBI नादौन	2158278778	43182.00
9	CBI नादौन	2158282286	9964.00
10	KCCB नादौन	20018023134	36993.25
	विभिन्न बैंकों का कुल योग		**1694842**

जमाः—

	दिनांक 31.3.14 को हस्तगत राशि	162104
जमाः—	दिनाँक 29.3.2014 को प्राप्त राशि जिसे बैंक में जमा करवाया गया था परन्तु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया।	

दिनाँक	**चैक सं0**	**राशि**	
29.3.2014	075689	1559	
29.3.2014	075741	1157	2716

घटाएंः— बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया ब्याज जोकि दिनाँक 31.03.2014 तक रोकड़बही में दर्ज नहीं किया गयाः—

क) CBI नादौन खाता सं0 2158278778	844	
ख) CBI नादौन खाता सं0 2158282286	195	1039
रोकड़ बही के अनुसार दिनाँक 31.3.2014 को जमा शेष राशि		1858623

5 अनुदानः–

(i) अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान की राशि व व्यय की गई तथा अनुदान के अन्तशेष की राशि का विवरण **परिशिष्ट "ग–1, ग–2 व ग–3"** में दिया गया है।

(ii) दिनाँक 31.3.2014 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि ₹270598/–

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त अनुदान की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि में से ₹270598/– की राशि अनुपयोगी पड़ी थी जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः इन अनुदान राशियों को समयवध प्रयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनपुयोगी इन राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्ही उद्देश्यों जिन हेतु यह प्राप्त हुई है पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यपण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

6 नगर पंचायत कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान ₹257862/– का अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में:–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन दिनाँक 1.1.2006 से अपनी अधिसूचना संख्या Fin (PR) b(7)-1/2009 दिनाँक 26.8.2009 द्वारा किया गया तदानुसार उप सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या UD-E(7)-2/2009 दिनाँक 19.12.2009 द्वारा प्रदेश के पालिका कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान के भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में पुनः अधिसूचना संख्या Fin (PR)-B (7)-64/2010 दिनाँक 27.9.2012 द्वारा संशोधन किया गया परन्तु पालिका कर्मचारियों को भी पुनः संशोधित वेतनमान के भुगतान करने के

सन्दर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, अभिलेख की जाँच में पाया गया कि प्रदेश सरकार की अनुमति न होते हुए भी नगर पंचायत द्वारा अपने कर्मचारियों को दिनाँक 1.10.2012 से 31.10.2013 तक अपने ही स्तर पर उक्त संशोधित वेतनमान का भुगतान कर दिया तथा कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के भुगतान स्वरूप कुल ₹257862/– का अनियमित भुगतान कर दिया, जिसका पूर्ण विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न है।

अतः प्रदेश सरकार की अनुमति न होते हुए भी नगर पंचायत द्वारा अपने कर्मचारियों को दिनाँक 1.10.2012 से 31.10.2013 तक संशोधित वेतनमान के भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान को नियमित करवाया जाये अन्यथा अनियमित तरीके से किए गए भुगतान की वसूली की जाए।

7 गृहकरः–

(क) गृहकर की ₹2217265/– की वसूली न करने बारेः–

संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है, के अनुसार दिनाँक 31.03.2014 तक गृहकर के रूप में ₹2217265/– वसूली हेतु लम्बित थी निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या ULB H(A) (7) 1/84-9237 से 9284 दिनाँक 20.6.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किए गए थे मगर गृहकर की वसूली संस्था द्वारा प्रभावी ढ़ंग से नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप संस्था के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे है। अतः गृहकर की लम्बित राशि की वसूल करने हेतु शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा देरी से गृहकर को जमा करवाने के लिए नियमानुसार 10% की दर से अधिभार की भी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) गृहकर के माँग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित रख रखाव न करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2014 तक गृहकर के माँग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित रख रखाव नहीं किया गया है। जैसे क्षेत्र व कर की दर इत्यादि का कोई विवरण नहीं दिया गया है, यह एक अत्यन्त गम्भीर चूक है। अतः नियमानुसार अभिलेख का रख–रखाव न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में

नियमानुसार (जैसे क्षेत्र व कर की दर इत्यादि) गृहकर के माँग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 **(क) दिनाँक 31.3.2014 को दुकानों/स्टलों इत्यादि का किराया ₹1576069/– वसूली योग्य राशि शेषः–**

नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोखो इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराए/पट्टे पर चढ़ाया गया है तथा इनका किराया नगर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है संस्था द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है के अनुसार दिनाँक 31.03.2014 को किराए के रूप में ₹1576069/– वसूली हेतु लम्बित थी। इतनी बढ़ी राशि का वसूली हेतु बकाया रहना एक चिन्तनीय विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाए जाएँ ताकि राशि को जनकल्याण हेतु प्रयोग लाया जा सके।

(ख) अनुबन्ध किये बगैर दुकानों/खोखों को किराये पर देने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कुछ दुकानों/खोखों को शुरू से अनुबन्ध किए बगैर किराए पर दिया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है, नियमानुसार दुकानों/खोखों को किराए/पट्टे पर देने से पूर्व अनुबन्ध किया जाना अपेक्षित है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विधिक समस्या उत्पन्न न हो सके। अधिकांश तौर पर इन मूलभूत दस्तावेजों के अभाव में न्यायालय का निर्णय किराएदारों/पट्टाधारकों के पक्ष में हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत को होने वाली भारी वित्तीय हानि को नकारा नहीं जा सकता है। अतः **परिशिष्ट "ज"** में वर्णित कुछ दुकानों/खोखों को अनुबन्ध किए बगैर किराए/पट्टे पर देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब इन दुकानों/खोखों का किराया/पट्टा अनुबन्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 **बी0एस0एन0एल0 हमीरपुर को मोबाईल टावर की नवीनीकरण शुल्क में दी गई गलत छूट व कम माँग उठाने के परिणामस्वरूप नगर पंचायत को ₹13750/– की वित्तीय हानिः–**

(क) अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या एन0डी0एन0–2011–मोबाईल टावर–1004 दिनाँक 13.9.2011 के अन्तर्गत बी0एस0एन0एल0

हमीरपुर से ₹5000/– की माँग दिनाँक 1.9.2011 से 31.8.2012 तक मोबाईल टावर शुल्क के रूप में उठाई गई थी। बी0एस0एन0एल0 हमीरपुर कार्यालय द्वारा ₹15000/– एक मुश्त राशि इस संस्था को चैक संख्या 074704 दिनाँक 21.9.2012 को पाँच वर्षों की नवीनीकरण फीस के रूप में 40**%** छूट उपरान्त भेजी गई थी (25000–10000) जी–8 संख्या 22/43 दिनाँक 15.10.2012 को नगर पंचायत कोष में इन्द्राज की गई जबकि सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या–311 दिनाँक 22.8.2006 के अन्तर्गत नवीनीकरण फीस में 40**%** की छूट केवल पाँच वर्षों के इकटठे/एकमुश्त अग्रिम भुगतान करने पर ही दी जा सकती है। इस प्रकरण में बी0एस0एन0एल0–हमीरपुर कार्यालय द्वारा एकमुश्त राशि नगर पंचायत को दिनाँक 21.9.2012 को भेजी गई थी जबकि संस्था द्वारा माँग दिनाँक 13.9.2011 को उठाई गई थी। इस प्रकार बी0एस0एन0एल0 हमीरपुर द्वारा एक वर्ष उपरान्त देय राशि को इस संस्था को 40**%** छूट लेने उपरान्त भेजा गया जबकि यह छूट तभी दी जानी अपेक्षित थी यदि नवीनीकरण फीस राशि को दिनाँक 13.9.2011 से पूर्व या माँग उठाने/जारी करने से पूर्व जमा किया गया होता। अतः बी0एस0एन0एल0 हमीरपुर द्वारा अपने स्तर पर ही 40**%** छूट लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सचिव, शहरी निकाय हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर प्रदान की गई अनियमित छूट/राशि को नियमित करवाया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि को प्रतिपूर्ति (₹10000) उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए।

(ख) मोबाईल टावर की नवीनीकरण फीस में प्रत्येक पाँच वर्ष उपरान्त 25% की बढ़ौतरी न किया जानाः–

सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 2311 दिनाँक 22.8.2006 के अन्तर्गत मोबाईल टावर की नवीनीकरण फीस में प्रत्येक वर्ष उपरान्त 25**%** की बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित है। अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा बी0एस0एन0एल0 हमीरपुर से दिनाँक 1.9.2011 को व तदोपरान्त ₹5000/– प्रतिवर्ष नवीनीकरण फीस के रूप में माँग जारी की जा रही है जबकि दिनाँक 31.8.2011 को ही ₹5000/– प्रतिवर्ष नवीनीकरण फीस के रूप में पूर्ण हो चुके थे तथा दिनाँक 1.9.2011 को 25**%** की बढ़ौतरी अर्थात ₹5000+1250=₹6250 के साथ माँग करनी अपेक्षित थी जबकि माँग केवल ₹5000/– की गई।

अतः नियमों के विपरीत माँग जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नवीनीकरण फीस में 25**%** बढ़ौतरी न करने के कारण स्पष्ट किया जाए तथा देय राशि ₹3750 (1250X3) अवधि 1.9.2011 से 31.8.2014 तक की माँग जारी करने उपरान्त इसकी वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में नियमित रूप से नियमानुसार नवीनीकरण फीस में बढ़ौतरी की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) रिलायँस कम्पनी नादौन के मोबाईल टावर की नवीनीकरण फीस के रूप में देय ₹23750/– को वसूल न करने बारेः–

अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.2014 तक रिलायन्स कम्पनी के नादौन के मोबाईल टावर की नवीनीकरण फीस ₹23750/– देय थी जोकि अभी तक भी वसूली नहीं की गई है। यह राशि अवधि 2011–12 से देय है जिसका विवरण **परिशिष्ट "छ"** में वर्णित है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पिछले 3 वर्षों से रिलायन्स कार्यालय द्वारा नवीनीकरण फीस नगर पंचायत नादौन को नहीं भेजी जा रही है। नगर पंचायत द्वारा इस शुल्क वसूली हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। अतः फीस के रूप में देय ₹23750/– को वसूल की जानी सुनिश्चित की जाए।

10 एक वित्तीय वर्ष में एक ही क्रम के पार्किंग कूपनों को एक से अधिक वार मुद्रित करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि एक वित्तीय वर्ष में एक ही क्रम (बुक संख्या) के पार्किंग कूपनों को एक से अधिक बार मुद्रित किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

दिनाँक	**बिल सं0**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**क्रम संख्या (बुक संख्या)**
6.11.12	1704	परमार वाइंडिंग हार्डवेयर चण्डीगढ़	1 से 1200
20.5.12	401	मै0 चौधरी ऑफसैट प्रिटिंग प्रैस नादौन	1 से 224
24.9.12	438	मै0 चौधरी ऑफसैट प्रिटिंग प्रैस नादौन	224 से 300
3.10.12	450	मै0 चौधरी ऑफसैट प्रिटिंग प्रैस नादौन	01 से 119

यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता/चूक है, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में एक ही क्रम (बुक संख्या) के पार्किंग कूपनों को एक से अधिक वार मुद्रित करवाने व उनके क्रम को तोड़ने

से दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है, अतः पार्किंग कूपनों के क्रम को तोड़ने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

नगर पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में पार्किंग कूपनों (रसीदों) को क्रमानुसार मुद्रित उपयोग करवाया जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता विभाग नादौन को भेजे गए राशनकार्डों की देय राशि वसूल न करने बारेः–

नगर पंचायत ने पत्रांक संख्या–एन0सी0/एन0डी0एन0/2013–राशनकार्ड–1073 दिनाँक 14.10.13 के अन्तर्गत 232 नं0 राशनकार्ड दर ₹2.50 प्रति एक कि दर पर ₹580 के हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता को भेजे गए थे लेकिन आज तक इस देय राशि को वसूल नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब ₹580/– की प्रतिपूर्ति/वसूली खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 तहबाजारी के रूप में ₹57990/– कम वसूल करने बारेः–

नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्या 82/12 दिनाँक 29.02.2012 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया की दिनाँक 01.03.2012 से स्टाल/थडी वालों से प्रतिदिन ₹30/– तहबाजारी के रूप में तहबाजारी शुल्क वसूल किया जाएगा। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अवधि 01.03.2012 से 20.03.2012 तक अधिकतम स्टाल/थड़ीदारों से तहबाजारी के रूप में कोई शुल्क वसूली नहीं किया गया है अथवा कम वसूल किया गया है। परिणामस्वरूप ₹57990/– की वसूली नहीं की गई जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "झ"** में दिया गया है। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता/चूक है। अतः उपर्युक्त अवधि के लिए ₹30/– प्रतिदिन प्रति थड़ी स्टाल तहबाजारी शुल्क के रूप में राशि को वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹57990/– वसूली उचित स्त्रोत/चूककर्ता से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 रैहन बसेरे के कमरों व हॉल के किराए ₹250/– की कम वसूली करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि रैहन बसेरे के कमरों व हॉल के किराया ₹250/– की कम वसूली की गई जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित हैः–

कमरा/हॉल/बुकिंग की तिथि	जिसके नाम बुकिंग करवाई	अवधि (दिनों में)	देय राशि	वसूल की गई राशि	जितनी राशि कम वसूल की गई
कमरा सं0 4/14.4.12	श्री तरसेम कपिल	2 दिन	200	––	200
हॉल/20.7.13	श्रीमती सुमन कुमारी	2 दिन	750	700 (जी 8–48/49 19.07.13)	50
				कुल योग	**250**

अतः उपरोक्त वर्णित राशि को वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब ₹250/– किराये की कम वसूली की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत/चूककर्ता से करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाई जाये।

14 श्री मदन लाल, बेलदार के भविष्य निधि खाते में अधिक अंशदान राशि जमा करवाने के सन्दर्भ में:–

अंकेक्षण में पाया गया कि माह 1/2013 के वेतन देय माह 2/2013 में श्री मदन लाल के वेतन से ₹3000/– की कटौती भविष्य निधि खाते में अंशदान राशि के रूप में की गई थी परन्तु जमा ₹4000/– करवाए गये, इस प्रकार कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में की गई कटौती से ₹1000/– अधिक जमा करवाया गया। इसी प्रकार माह 12/2012, 2/2013 व 3/2013 में भी ₹1000/–प्रतिमाह अधिक जमा करवाकर कुल ₹4000/– अधिक जमा करवा दिये गये जो एक गम्भीर चूक है, अंकेक्षण के दौरान राशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन माह 7/2014 देय माह 8/2014 से कर दी गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकार की त्रुटि/चूक की पुनरावृति की रोक हेतु उचित व प्रभावी कदम उठाए जाएँ।

15 निर्माण कार्यः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के अभिलेख के रख–रखाव में अत्यन्त गम्भीर लापरवाही/चूक बरती जा रही है, जिस कारण किसी प्रकार के

गलत भुगतान अधिक भुगतान/अनियमितता को नकारा नहीं जा सकता है। अतः लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न रखने का कारण स्पष्ट किया जाए। अंकेक्षण के दौरान पाई गई चूक का विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः–

(1) विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसमें केवल कार्य का नाम दिया जाता है परन्तु कहीं यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि कार्य को निष्पादित करने हेतु प्रकलन तैयार करने के लिये किस बैठक मे ंप्रस्ताव किया गया, बैठक में केवल यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सरकार की अनुदान राशि से निर्माण कार्य करवाए जाने है। अतः कार्य करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है परन्तु यह कहीं स्पष्ट नहीं किया जाता कि सरकार से कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई है और न ही जो कार्य करवाए जाने है उन पर कितनी राशि व्यय की जानी है, जिसकी अनुपलब्धता में यह कहीं स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कार्य के निष्पादन हेतु नगर पंचायत के पास धन राशि थी भी अथवा नहीं।

अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में कार्य आरम्भ करने से पूर्व कार्य को निष्पादित करने हेतु प्रकलन तैयार करने के लिये बैठक में प्रस्ताव किया जाये तदोपरान्त बैठक में जिस स्त्रोत से कार्य हेतु राशि व्यय की जानी है तथा कार्य पर करने हेतु नगर पंचायत से स्वीकृति प्राप्त करने के साथ–साथ उसकी वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो सके तथा कार्य पर प्राप्त स्वीकृति से किसी प्रकार के गलत/अधिक व्यय व भुगतान को नकारा जा सके।

(2) Tender Opening Register नहीं लगाया गया है जोकि ठेकेदार के माध्यम से कार्य करवाए जाने कि अवस्था में एक अत्यन्त आवश्यक अभिलेख है जिससे ठेकेदारों द्वारा कार्य हेतु दी गई दरें सत्यापित व प्रमाणित होती है तथा दरों में किसी प्रकार की पुनर्लेखन/Overwriting की नकारा जाता है। अतः इस अत्यन्त आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा किसी प्रकार के अनुचित लाभ को नकारने हेतु इस आवश्यक अभिलेख का अविलम्ब तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) विभागीय स्त्तर पर जो कार्य करवाए जाते है अवधि न तो कार्य प्रगति दैनिक नामावली में दर्शाई जाती है और न ही माप पुस्तिका में इन्द्राज मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का मिलान उनको किए गए भुगतान से कर उसे उचित ठहराया जाता है, अतः कार्य की प्रगति न दर्शाए जाने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा मजदूरों को किये गये भुगतान को कार्य प्रगति के साथ उचित ठहराया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए, भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए।

(4) विभागीय स्त्तर पर जो कार्य करवाए जाते है उन पर हुए व्यय का कहीं कोई इन्द्राज नहीं किया जाता है जिससे पता चल सके की कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है कार्य के अनुमान के अनुसार कितनी राशि अपेक्षित थी, ताकि कार्य पर हुए व्यय का व अनुमानित व्यय का आपस में मिलान सम्भव हो सके। अतः कार्य पर हुए व्यय को न दर्शाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार पूर्ण अभिलेख तैयार कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(5) माप पुस्तिका में मदों की प्रविष्टियाँ करते समय कार्य आरम्भ करने की तिथि कार्य समाप्त करने की तिथि इत्यादि अंकित नहीं की जाती जिसके अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सकता कि कार्य कब आरम्भ किया गया व कब सम्पन्न किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार माप पुस्तिका में ईन्द्राज लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) कार्य आंबटन से पूर्व कोई विभागीय न्यायोचितता (Departmentel Justification) नहीं बनाई जाती है जिससे ठेकेदारों को दी गई राशि/दरों को उचित ठहराया जा सके तथा किसी प्रकार के अधिक/गलत भुगतान को नकारा जा सके। प्रत्येक कार्य में ठेकेदार को कार्य आंबटन पूर्व नेगोशेसन के लिए बुलाया जाता है तथा कुछ दरें कम करवा कर व यह प्रमाण पत्र देकर की दरें उचित है कार्य आंबटित कर दिया जाता है परन्तु किस आधार पर दरों को उचित ठहराया जाता है कुछ स्पष्ट नहीं किया जाता है।

अतः विभागीय न्यायोचितता बनाए बिना कार्य आंबटन को उचित ठहराया जाए व किसी प्रकार के अधिक भुगतान को नकारा जाए। परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक कार्य आंबटन पूर्व विभागीय न्यायोचितता बनाई जाए तदानुसार ठेकेदारों को कार्य आंबटित किया जाए ताकि किसी भी अधिक भुगतान को नकारा जा सके।

(7) टैन्डर खोलते समय, अपने टैन्डर के साथ दी गई टैन्डर राशि का उल्लेख केवल न्यूनतम ठेकेदार का ही किया जाता है शेष दो ठेकेदारों द्वारा दी गई राशि का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक टैण्डर के साथ प्राप्त धरोहर राशि का पूर्ण विवरण (जैसे एफ0डी0 का विवरण या रसीद का नम्बर जिससे धरोहर राशि वसूली गई) दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) नगर पंचायत द्वारा ठेकेदारों के चलित बिलों भुगताल करते समय बिल में केवल भुगतान की जा रही मदों का व मात्रा का उल्लेख व ईन्द्राज लिया जाता है भुगतान किया जाता है जबकि नियमानुसार जब भी चलित बिल का भुगतान किया जाता है तो पहले भुगतान किए जा रहे बिल तक निष्पादित कुल कार्य/मदानुसार मात्रा का ईन्द्राज लेकर फिर पिछले बिल

तक भुगतान की गई प्रत्येक मद को व राशि को कम कर फिर शेष चलित बिल का भुगतान किया जाता है ताकि किसी भी दोहरे भुगतान को नकारा जा सके। उदाहरण के रूप में वाऊचर संख्या 574 दिनाँक 18.2.2013 के अन्तर्गत शोविंग कम्पलैक्स नादौन के निर्माण कार्य के 8वें बिल के भुगतान स्वरूप कुल राशि ₹50249/– का भुगतान किया गया। इस बिल में निष्पादित केवल 7 मदों का ही ईन्द्राज व भुगतान किया गया जबकि नियमानुसार बिल में पहले प्रत्येक मद का ईन्द्राज फिर 7वें चलित बिल तक भुगतान की गई मात्रा कम कर शेष भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार बिल ईन्द्राज व भुगतान न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब किसी प्रकार के दोहरे भुगतान को नकारते हुए, नियमानुसार ईन्द्राज लेकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक बिल का ईन्द्राज लेकर ही भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 वाऊचर संख्या 646 माह 2/2014

कार्य का नामः– वार्ड नं0 1 में शनि मन्दिर के पास पुराने बस स्टैण्ड से वाटर सप्लाई स्कीम नादौन तक रास्ते व नालियों का निर्माण

ठेकेदार का नामः– श्री सन्दीप कुमार

अनुमानित लागतः– ₹190000

प्रथम व अन्तिम बिलः– ₹203363

माप पुस्तिका सं0ः– 33 पृष्ठ 13 व 14

(1) इस कार्य के टैण्डर फार्म विक्रय की तिथि दिनाँक 30.9.2013 तक निर्धारित थी तथा टैण्डर जमा करवाने व खोलने की तिथि दिनाँक 1.10.2013 निर्धारित थी जिस हेतु प्रत्येक ठेकेदार को अपने टैण्डर के साथ ₹3100/– की धरोहर राशि जमा करवानी अनिवार्य थी तभी टैण्डर खोले जा सकते थे। जाँच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा अपनी धरोहर राशि ₹3100/– की जगह ₹2700 जमा करवाई गई और यह भी टैण्डर खोलने के दो दिन बाद दिनाँक 3.10.2013 को जी–8 स 92/5 द्वारा राशि जमा करवाई गई। अतः स्पष्ट किया जाए कि किन परिस्थितियों व नियमों के अन्तर्गत ठेकेदार के टैण्डर को स्वीकृत किया गया जबकि वह टैण्डर की आधारभूत शर्त ही पूर्ण नहीं करता था। अतः उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त, किसी प्रकार के अनुचित लाभ की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाकर, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) इस कार्य में सीमेन्ट कंक्रीट 1:5:10 17.28 घन मी0 अतिरिक्त मद के रूप में निष्पादित की गई। इस मद को आवश्यक व उचित ठहरा कर तथा सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(क) इसके अतिरिक्त मद का भुगतान ₹2500/— प्रति घन मीटर की दर पर किया गया जबकि HPSR 2009 की मद संख्या 09150100 के अनुसार प्रति घन मीटर की दर ₹1048.70 है जिस पर नियमानुसार कार्य हेतु ठेकेदार को दिया गया ओवर ऑल प्रीमियम 16.72% अर्थात ₹175.34 पै0 को जमा कर यह दर केवल ₹1224.04 बनती है। इस प्रकार ठेकेदार को प्रति घन मीटर पर ₹1275.96 का अधिक भुगतान करते हुए 17.28 घन मीटर हेतु राशि ₹22048/— अधिक भुगतान कर दिये गये जिन्हें नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा वसूली कर व वापिस जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

17 सदन की स्वीकृति बिना निर्माण कार्य पर प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय किया जानाः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि जिलाधीश हमीरपुर द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान राशि के विरूद्ध कार्यों पर सदन की स्वीकृति बिना अधिक राशि व्यय कर दी गई कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैः—

(1) जिलाधीश हमीरपुर द्वारा वार्ड नं0 2 मै0 अमर सिंह की दुकान से जैन चौंक तक गली को पक्का करने हेतु पत्र संख्या PLG/HMR/SDP/8541-42 दिनाँक 6.9.2011 द्वारा ₹200000/— की अनुदान राशि प्रदान की गई। नगर पंचायत द्वारा यह कार्य दो ठेकेदारों से पूर्ण करवाया तथा पहले ठेकेदार श्री अमीन चन्द को ₹220468/— (माप पुस्तिका संख्या 32 पृष्ठ 66) तथा दूसरे ठेकेदार श्रीमती चान्द रानी को ₹114472/— (माप पुस्तिका संख्या 32 पृष्ठ 96 व 97) कुल ₹334940/— व्यय कर दिये जो प्राप्त अनुदान से राशि ₹134940/— अधिक थे। अधिक किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

(2) जिलाधीश हमीरपुर द्वारा वार्ड नं0 1 में श्री आशुतोष गोस्वामी के घर से ब्यास नदी तक गली के निर्माण हेतु पत्र संख्या PLG/HMR/SDP-7901-02 दिनाँक 30.6.2011 द्वारा केवल ₹150000 प्रदान किए परन्तु नगर पंचायत द्वारा कार्य निष्पादित करने पर श्री नरेन्द्र सोनी ठेकेदार को ₹201073/— भुगतान किये गये थे प्राप्त अनुदान राशि से ₹51073 ज्यादा थे।

अतः सदन की स्वीकृति बिना कार्यों पर प्राप्त अनुदान राशि से अधिक किए गये व्यय को नियमानुसार उचित ठहराया जाए तथा सदन से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

18 वाऊचर संख्याः— 548 माह 2/2013

मस्ट्रोल सं0ः— 92 ₹10602

अवधिः— 1.1.2013 से 31.1.2013

कार्य का नामः— श्री राकेश कपूर के घर से मुख्य बाजार तक रास्ते व नाली का निर्माण

इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई जिनका निपटारा कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(1) मस्ट्रोल के भाग—III जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा दर्शाकर भुगतान को उचित ठहराया जाता है को नहीं भरा गया है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए।

(2) मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा का ईन्द्राज माप पुस्तिका संख्या 19 के पृष्ठ 64 पर लिया गया दर्शाया गया, परन्तु माप पुस्तिका में मजदूरों द्वारा किस अवधि में कार्य किया गया व कार्य का माप व माप पुस्तिका में कब ईन्द्राज लिया गया कोई तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही किए गए कार्य के साथ मजदूरों को किये गये भुगतान को उचित ठहराया गया है। मजदूरों द्वारा किया गया कार्य न तो सचिव/प्रधान नगर पंचायत अथवा अन्य सक्षम अधिकारी से सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं करवाया गया है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा वाँछित कार्यवाही अमल में लाकर व किये गये भुगतान को उचित ठहरा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(3) इस कार्य का प्राकलन कनिष्ठ अभियन्ता नगर पंचायत द्वारा कुल ₹55316/— का तैयार किया गया तथा सचिव नगर पंचायत द्वारा तदानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा कार्य पर किए गये व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसके अभाव में व्यय के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अभिलेख तैयार कर आगामी अंकेक्षण आवश्यक सत्यापित हेतु उपलब्ध करवाया जाऐ।

19 अनुदान राशि को शीर्ष वार व्यय से सम्बन्धित विवरण तैयार न करने बारेः—

निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के ज्ञापन संख्या यू0डी0एच0(सी)(2)—1/2008—IV—339 दिनाँक 04.04.2013 के अन्तर्गत वर्ष 2012—13 के 13वें वित्त आयोग के लिए जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को नगर पंचायत द्वारा शीर्षवार खर्च किया जाना अपेक्षित था।

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2012—13 तक के 13वें वित्त आयोग के लिए जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को शीर्षवार खर्च करने से सम्बन्धित विवरण तैयार नहीं किया गया था व सम्पूर्ण अनुदान राशि का इकटठा रख—रखाव नगर पंचायत निधि खाते में किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि अनुदान राशि को जिस उद्देश्य हेतु दिया/जारी किया गया है, उन्हीं के समरूप राशि को खर्च किया गया है या नही अर्थात शीर्षवार खर्च किया गया है या नहीं। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता/चूक है। अतः नियमों के विपरीत उपर्युक्त विवरणों को तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब अंकेक्षण अवधि में प्राप्त वित्त आयोग की अनुदान राशियों का शीर्षवार व्यय करने से सम्बन्धित विवरण तैयार कर आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाया जाए, भविष्य में नियमानुसार अनुदान राशि का रख—रखाव व व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 ₹17717/— अग्रिम राशि का समायोजन न करने बारेः—

वाऊचर संख्या शून्य दिनाँक 26.2.2014 को ₹88069 का भुगतान, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड शिमला को 400 बोरी सीमेन्ट की खरीद/आपूर्ति करने हेतु की गई तथा राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 992268 दिनाँक 3.3.2014 द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के पास जमा करवाई गई। इस भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनका निपटारा कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(क) इस भुगतान की एवज में ए0सी0सी0 सीमेन्ट की आपूर्ति दिनाँक 13.3.2014 व 14.3.2014 को प्राप्त हुई। आपूर्ति पत्रों के साथ संलग्न ए0सी0सी0 कम्पनी के बिल कुल ₹70352/— के उपलब्ध है जिनका विवरण निम्नलिखित है।

क्र0सं0	बिल सं0	विवरण	राशि
1	1901406404 दिनाँक 13.3.14	200 बोरी सीमेन्ट का बिल	₹28308
2	2648052 दिनाँक 13.3.14	सीमेन्ट की ढुलाई का बिल	₹6868
3	1901406682 दिनाँक 14.3.14	200 बोरी सीमेन्ट का बिल	₹28308
4	5580279 दिनाँक 14.3.14	सीमेन्ट की ढुलाई का बिल	₹6868
		कुल राशि	**₹70352**

विभाग द्वारा उक्त वर्णित बिलों के विरूद्ध निगम के पास ₹88069 अर्थात ₹17717 अधिक जमा करवाए गये है इस अधिक जमा करवाई गई जिसका शीघ्र समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(1) भुगतान की गई राशि हेतु नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अपना Performa Invoice दिनाँक 17.5.2013 को दिया गया था। अतः 9 माह पुराने बिल के विरूद्ध अग्रधन प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जब भी सीमेन्ट खरीदना है तभी performa Invoce लेकर भुगतान का किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी प्रकार के कम या अधिक भुगतान को रोका जा सके।

21 नगर पंचायत द्वारा नालियों पर लोहे के जंगले लगाने हेतु माह 2/2014 में श्री नरेन्द्र सोनी संविदाकार से लोहे के जंगले की खरीद विवरणानुसार की गईः–

वा0सं0	बिल सं0	दिनाँक	की गई खरीद की मात्रा	दर	राशि
612	242	15.1.14	335 कि0	₹75 प्रति किलो	25125
632	247	18.2.14	254.20 कि0ग्रा0	₹75 प्रति किलो	19065
	246	15.2.14	400.20 कि0ग्रा0	₹75 प्रति किलो	30015
	244	14.2.14	55 कि0ग्रा0	₹75 प्रति किलो	4125
637	248	22.2.14	161 कि0ग्रा0	₹75 प्रति किलो	12075

इस कार्य हेतु निविदाऐं पत्र संख्या NP/NDN/2013-Development Works 296.02 दिनाँक 2.4.13 द्वारा आमन्त्रित की गई जिसमें कार्य का विवरण निम्नलिखित दिया गया।

"Providing and fixing Drainage jumglaw/grating of mild steel angle iron 2nd flat as per requirement of site including cutting and welding complete."

उपरोक्त कार्य विवरण में किस डाया/मोटाई की स्टील चाहिए उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाए क्योंकि कम डाया/मोटाई की स्टील महंगी

होती है परन्तु उसका वजन कम होता है तथा जिस स्टील का डाया मोटा होता है उसकी दर कम परन्तु वजन ज्यादा। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा कितनी मात्रा ली जानी है उसका कोई विवरण नहीं दिया गया है इस अस्पष्ट व अत्यन्त आवश्यक विवरण बिना जो निदवाऐं आमन्त्रित की गई है उसमें पूर्ण सम्भावना है कि निविदाकारों द्वारा उच्च दरें दी गई है तथा दरें किस डाया की स्टील हेतु दी गई है। अतः अस्पष्ट विवरण देकर निविदाऐं आमन्त्रित करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त व विभागीय न्यायोचितता बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार का उच्च दरों पर भुगतान नहीं किया जा रहा है अन्यथा उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। परामर्श दिया जाता है कि अगर नगर पंचायत को भविष्य में भी आवश्यकता है तो पूर्ण विवरण देकर व कौडल औपचारिकताऐं पूर्ण करने उपरान्त, विभागी न्यायोचितता बनाकर पुनः कार्य का आंबटन किया जाए।

22 बिजली के बिलों के भुगतान बिलों से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव न करने बारेः—

वाऊचर संख्या 636 माह फरवरी 2014 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को विद्युत बिलों के भुगतान स्वरूप निम्नविवरणानुसार ₹91149/— का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	**खाता सं0**	**राशि**
1	629	₹6123
2	636	₹84211
3	281	₹815
	कुल राशि	**₹91149**

जाँच में पाया गया कि इन भुगतान किए गए बिलों की कोई स्टॉक प्रविष्टि नहीं ली गई, नगर पंचायत द्वारा विद्युत बिलों से सम्बन्धित कोई रजिस्टर/अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। जिसके अभाव में किसी भी प्रकार के दोहरे भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख अब तैयार कर व किसी प्रकार के दोहरे भुगतान को नकारते हुए की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) नगर पंचायत द्वारा कोई ऐसा अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिससे पता चल सके कि प्रत्येक खाते/बिल से सम्बन्धित बिजली की आपूर्ति कहाँ कहाँ की जा रही है कितने गलियों में बिजली के खम्बे है व कहाँ कहाँ बिजली की आपूर्ति की जा रही है जिस हेतु नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक माह लाखों का व्यय किया जा रहा है। अतः अपेक्षित पूर्ण अभिलेख तैयार कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए ताकि किसी भी प्रकार के दुरूपयोग को नकारा जा सके।

23 चिकित्सा प्रतिपूर्ति चैक रजिस्टर का रख रखाव न करने बारेः–

(क) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों से सम्बन्धित कोई अलग से अभिलेख/चैक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जिससे प्रत्येक कर्मचारी को किये गये भुगतान का अलग से लेखा जोखा रखा जा सके व किसी प्रकार के दोहरे भुगतान को नकारा जा सके। अतः अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा आवश्यक अभिलेख अब तैयार कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) वाऊचर संख्या 623 माह फरवरी 2014 के अन्तर्गत श्री किशोरी लाल (लिपिक) को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के भुगतान स्वरूप ₹6890/– का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि किशोरी लाल द्वारा दयानन्द मैडिकल कॉलेज व चिकित्सालय, लुधियाना (पंजाब) से दिनाँक 16.2.2013 को किए गए उपचार हेतु भुगतान किया गया, इस भुगतान के सर्मथन में आदेश/नियम, जिनके अन्तर्गत प्रदेश से बाहर दयानन्द मैडिकल कॉलेज की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जा सकती थी प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में भुगतान के सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशि की वसूली करके नगर पंचायत खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

24 विज्ञापन बिलों के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करने बारेः–

वाऊचर संख्या 557 के अन्तर्गत मै0 जागरण प्रकाशन को विज्ञापन बिल के भुगतान स्वरूप ₹1905/– का भुगतान किया गया, इसी प्रकार वाऊचर संख्या 567 के अन्तर्गत मै0 दिव्य हिमाचल को ₹1486/– का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत

द्वारा विज्ञापन बिलों के भुगतान से समबन्धित कोई अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया जिसके अभाव में यह पता लगाया जाना कठिन है कि किस वित्तीय वर्ष में विज्ञापनों पर कितना व्यय किया गया है व किस विज्ञापन हेतु किस संस्था को कितनी राशि का भुगतान किया गया अपेक्षित अभिलेख अब तैयार किया जाए ताकि पूर्ण जाँच सम्भव हो।

25 अन्यः—

(1) वाऊचर संख्या 632 दिनाँक 19.2.2014 के अन्तर्गत ₹2320, 29 कर्मचारियों के ₹80/— प्रति कर्मचारी की दर पर ग्रुप इन्श्योरेन्स के अंशदान के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा करवाए गए जाँच में पाया गया कि 26 कर्मचारियों के वेतन से तो जमा की अंशदान की कटौती कर ली गई परन्तु तीन कर्मचारी श्रीमती विद्या देवी, हेम राज व बीरबल से राशि की कटौती नहीं की गई। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए जिसकी अब कटौती करके प्रतिपूर्ति की जानी सुनिश्चित की जाए।

(2) वाउचर संख्या 608 माह फरवरी 2014 के अन्तर्गत मै0 प्राईम टैक कम्पयूटर से 1 टोनर की खरीद पर ₹3200/— का भुगतान किया गया, इस खरीद के समर्थन न तो निविदाएं ली गई और न ही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया कि खरीद न्यूनतम दर पर की गई है अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

(3) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सचिव नगर पंचायत को प्रदान की गई आवास सुविधा हेतु नगर पंचायत द्वारा उनसे ₹194 प्रतिमाह लाईसैन्स शुल्क के रूप में कटौती की जा रही है जबकि प्रदेश सरकार द्वारा दिनाँक 20.9.2010 से यह दर बढ़ा कर ₹388/— प्रतिमाह कर दी गई है। अतः कम कटौती करने बारे स्थिति स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार पूर्ण गणना उपरान्त कटौती कर, अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

26 लघु आपति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

27 निष्कर्षः– लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– (V)(32)फिन(एल0ए0डी0) खण्ड–2–7759–60 दिनांक,26.12.2014 शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

पंजीकृतः– 2. सचिव, नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

"परिशिष्ट क" **(पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित)**

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/63 से पूर्व

संस्था द्वारा 9/63 से पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/63 से 5/68

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (1) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (1) (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (1 से 17)	अनिर्णीत
9	पैरा–14	अनिर्णीत
10	पैरा–15	अनिर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 6/68 से 10/74

1	पैरा–9	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/77 से 3/82

1	पैरा–32 (ए) व (सी से यू)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/84

1	पैरा–27 व 28	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/88

1	पैरा–8	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90

1	पैरा–8	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/92

1	पैरा–9 (1) व (2)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन

			(एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)
2	पैरा–12 (1) (2) व (3)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2005

1	पैरा–6, 7, 8 व 9	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)
2	पैरा–13	अनिर्णीत	
3	पैरा–15 व 16	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)
4	पैरा–24	अनिर्णीत	
5	पैरा–26	अनिर्णीत	
6	पैरा–31	अनिर्णीत	
7	पैरा–34	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
8	पैरा–40, 42	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन

			(एल0ए0) खण्ड–1–44774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)
9	पैरा–48	निर्णीत	(₹131936/– भरतीय स्टेट बैंक के चैक संख्या 323021 दिनाँक 16.8.2014 द्वारा जमा करवा दिये गए)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा–3 (घ)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)
2	पैरा–5 (क) (1, 2, 3)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)
3	पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत	
4	पैरा–5 (ग) (2)	अनिर्णीत	
5	पैरा–5 (ग) (3)	अनिर्णीत	
6	पैरा–5 (घ) (1)	अनिर्णीत	
7	पैरा–5 (घ) (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा–5 (च)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
9	पैरा–5 (छ)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)
10	पैरा–5 (ञ)	अनिर्णीत	
11	पैरा–5 (ट)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)

12	पैरा–5 (ङ) (3)	अनिर्णीत	
13	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
14	पैरा–7 व 8 (1)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (ञ)	अनिर्णीत	
4	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–10 (घ)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
6	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत	(पैन्शन बारे)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
2	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7	अनिर्णीत	
4	पैरा–8, 9, 10, 11(क) व (ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–4774 दिनाँक 7.8.2014 द्वारा)
5	पैरा–12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	अनिर्णीत	